न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/762 दिनांक 21/05/2025

अनवान :—

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
समदा वगैरा	बनाम	अली वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 69/2025 दिनांक 20.05.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बामणोर के मौजा बिलालाणी के खेत खसरा सं. 447/173, 445/173, 172, 173 रकबा क्रमश: 11.7278, 11.7359, 00.0971, 11.6387 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विपार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हो. पार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/763 to 766 दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी समदा वगैरा
3. विप्रार्थीगण अली वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.06 08:48:46 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन